



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशिते

## असाधारण

विधायी परिषिष्ठ

भाग—१, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, १८ मार्च, २०११

फाल्गुन २७, १९३२ शक राघव

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—१

रांच्या ३४६/७९-वि-१-११-१(क)/१४-२०११

लखनऊ, १८ मार्च, २०११

अधिसूचना

विधिघ

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद २०० के अधीन राज्यपाल गहोदय ने उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संराधन विकास बोर्ड विधेयक, २०११ पर दिनांक १६ मार्च, २०११ को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम रांच्या ११ सन् २०११ के रूप में संविधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :—

उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम, २०११

(उत्तर प्रदेश अधिनियम रांच्या ११ सन् २०११)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड की स्थापना और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक गामलों की व्यवस्था करने के लिए

### अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठर्ये वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय—एक

#### प्रारम्भिक

१—(१) इस अधिनियम को उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड संबित्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ अधिनियम, २०११ कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रयुक्त होगा, जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियंत्रण करें।

**परिभाषायां** 2-(1) इस अधिनियम में जब तक कि विषय अथवा संदर्भ गे कोई प्रतिकूल वात न हो,-

(क) “... न तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड से है;

(ख) “आशा” का तात्पर्य बोर्ड का अध्यक्ष और उसके विभागाधिकारी रो है;

(ग) “सदरम्” का तात्पर्य पदेन सदस्य से भिन्न बोर्ड के किसी सदस्य से है;

(घ) “नगर पालिका” का तात्पर्य भारत का राज्यधान के अनुच्छेद 243-श के खण्ड (1) के अधीन गठित किसी नगर निगम अथवा नगर पालिका परिषद अथवा किसी नगर पंचायत है;

(ङ.) “नगर पालिका अधिनियम” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है;

(च) “सम्पत्ति कर” का तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम के अधीन भूमि और भवनों पर उद्ग्रहीत सम्पत्ति कर से है;

(छ) “विनियम” का तात्पर्य धारा-37 के अधीन बनाये गये विनियमों से है।

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जैसा कि नगर पालिका अधिनियम में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हैं।

**अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना**

3-धारा-4 की जापाना (1) में विनिर्विष्ट अधिसूचना के प्रभावी होने के दिनांक से, नगर पालिका अधिनियमों के उपबन्ध अथवा इस अधिनियम में उपबन्धित किसी भी मामले से सम्बन्धित कोई अन्य विधि इस अधिनियम के उपबन्धों की सीमा तक उपांतरित हुए रागड़े जायेंगे।

## अध्याय-दो

### बोर्ड की स्थापना

**बोर्ड की स्थापना** 4-(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड के नाम से एक बोर्ड की स्थापना करेगी।

(2) बोर्ड एक नियंत्रित निकाय होगा।

(3) बोर्ड का मुख्यालय लखनऊ में होगा।

**बोर्ड की संरचना** 5-(1) बोर्ड में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होंगे और निदेशक, रथानीय निकाय, उत्तर प्रदेश बोर्ड का पदेन सदस्य होगा।

(2) अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास 25 वर्षों से अन्युग का प्रशासनिक अनुभव हो और राज्य सरकार के मुख्य सचिव अथवा भारत सरकार के सचिव अथवा उसके समकक्ष शहरी प्रशासन से सम्बन्धित विभागों का अनुभव रखने वाले किसी अन्य पद को अवश्य धारित कर चुका हो।

(3) सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पास नगर पालिका प्रशासन, वित्तीय और लेखा, शहरी सम्पत्तियों का मूल्यांकन, नगर पालिका विधियों सहित राज्य संचारियों या सिविल अभियंत्रण के क्षेत्र में अथवा राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित ज्ञान और अनुभव हो और सुरक्षित क्षेत्र में कम से कम 25 वर्षों का अनुभव अवश्य हो और कम से कम राज्य सरकार में सचिव का अथवा उसके समकक्ष पद अवश्य धारित किया हो।

(4) बोर्ड ऐसे कर्तव्यों के प्रयोग और निर्वहन के लिए अध्यक्ष के नियंत्रण के अधीन ऐसी रीति से जैसा कि विनियमावली द्वारा विनिर्विष्ट किया जाय, एक सचिव की नियुक्ति करेगा।

(5) अपने पद ग्रहण के दिनांक से बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य पौँच वर्ष की अवधि में हिए पद धारित करेंगे और वेतन तथा भत्तों राहित उनकी सेवा की निवन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि विहित की जाएँ :

परन्तु यह कि पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् अध्यक्ष या कोई सदस्य पद धारित नहीं करेंगे।

(6) नियुक्ति के पश्चात् अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों में उनके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(7) बोर्ड का अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य इस रूप में अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य पद को धारित नहीं करेगा।

(8) अध्यक्ष बोर्ड का गुण्य कार्यकारी अधिकारी होगा।

(9) जहाँ अध्यक्ष अनुपरिथिति, वीणारी, मृत्यु, पद त्याग अथवा किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों का नियादन करने में असमर्थ है अथवा जहाँ अध्यक्ष के पद की रिवित होती है, वहाँ इस हेतु अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य और ऐसे नाम निर्देशन की अनुपरिथिति में या जहाँ कोई अध्यक्ष नहीं है, उपरिथित सदस्यों द्वारा अपने बीच में से चुना गया कोई सदस्य, अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(10) कोई व्यक्ति अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये अनहूं हो जायेगा, यदि वह/उसने :—

(क) दिवालिया न्याय निर्णित कर दिया गया हो; या

(ख) शारीरिक या गानसिक रूप से कार्य करने में अक्षम हो गया है; या

(ग) नैतिक अधगता से युक्त किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध और कारावास के लिए दण्डित किया गया हो; या

(घ) ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किया है जो अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में उसके कृत्यों को प्रभावित करने वाला हो; या

(ड.) अपनी रिथित का इस रूप में चुरूपयोग किया हो जिससे कि लोकहित में उसके पद पर बने रहने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो;

(च) संसद या किसी राज्य विधान सभा या किसी रथानीय प्राधिकरण का सदस्य है या उसके निर्वाचन के लिये प्रत्याशी है; या

(छ) किसी राजनीतिक दल का सक्रिय सदस्य है या रहा है अथवा उसांगे कोई पद धारित किया है अथवा करता है।

(11) राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य केवल अपने पद से रिहृ यदाचार के आधार पर या उपधारा (10) के खण्ड (ख) खण्ड (घ) अथवा खण्ड (ड) में विनिर्दिष्ट आधारों पर इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार के मुख्य सचिव के रागकक्ष नियुक्त अधिकारियों में से तीन जॉब अधिकारियों के पैनल द्वारा राज्य सरकार द्वारा सुनाने किये गये संदर्भ पर की गयी जॉब और राज्य विधान सभा के नेता प्रतिपक्ष द्वारा से सेवा से हटाने के लिए शूलित किया गया हो कि अध्यक्ष या सदस्य को ऐसे किन्हीं आधारों पर सेवा से हटा दिया जाना चाहिए।

5-(1) गुरुगंत्री की रालाह पर राज्यपाल किसी व्यक्ति को बोर्ड के अध्यक्ष और अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में नियुक्त करेंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति पद धारण करने से पूर्व राज्यपाल या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के साक्ष ऐसे प्रपत्र में जैसा विहित किया जाय, प्रतिज्ञान की शपथ लेगा और हस्ताक्षर करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति राज्यपाल को सम्बोधित स्वहस्तालिखित में अपना पद त्याग सकता है।

બોર્ડ કે કર્મચારી  
વૃદ્ધ

7-(1) બોર્ડ, રાજ્ય સરકાર કે અનુગોદન રો, બોર્ડ કે અધિકારીઓ ઔર કર્મચારીઓ ને એરો પદ સૃષ્ટિ કરેગા ઔર એરો પદોં પર એરી રીતિ સે નિયુવિતસાં કરેગા જોરા વિસ્તિત કિયા જાય।

(2) ઉપધારા (1) કે અધીન નિયુવિત કર્મચારીવૃદ્ધ કા વેતન ઔર ભત્તાં સહિત રોતા કી નિવન્ધન ઔર શર્તો એરી હોંગી જેસા કિ વિનિયમાવલી મેં નિર્ધારિત કી જાય।

(3) ઇસ અધિનિયમ કે અધીન અપેને કૃત્યોં કે અનુપાલન કે પ્રયોગનાર્થ, બોર્ડ કિસી નગર પાલિકા કે કિસી અધિકારી અથવા કર્મચારી કી સેધાઓં કી આપેક્ષા કર સકતો હૈ।

(4) ઉપધારા (1) મેં સંદર્ભિત કર્મચારીવૃદ્ધ અધ્યક્ષ કે પ્રશાસનિક ઔર અનુશાસનિક નિયંત્રણ મેં હોંગે જો ઉનકા નિયુવિત પ્રાધિકારી હોગા.

રાંગઠન

8-(1) બોર્ડ તીન યા ચાર શાખાઓં થથા, પ્રશાસનિક શાખા, ગૂલ્યાંકન શાખા, ઔંઘ અનુરંધાન તથા વિશ્લેષણ ક્રિયા-કલાપ શાખા ઔર એરી અન્ય શાખાઓં મેં જો આવશ્યક ડાંડાં રાંગઠિત કિયા જા સકતા હૈ।

(2) રાજ્ય સરકાર કે પૂર્વ અનુગોદન રો, બોર્ડ રાજ્ય મેં સાયાચિત કર્મચારીવૃદ્ધ ભૂક્તા ક્ષેત્રીય કાર્યાલયોં કી રથાપના કર સકતા હૈ।

(3) ઇસ અધિનિયમ કે ઉપવન્ધોં કો કિયાન્વિત કરને હેતુ બોર્ડ રાગ્ય-સાગ્ય પર યથા અપેક્ષિત અપની શાખાઓં ઔર ક્ષેત્રીય કાર્યાલયોં કો પુનર્ગર્ભન કર સકતા હૈ।

વિધિગત્યકરણ

9-ઇસ અધિનિયમ કે કિસી અન્ય ઉપવન્ધ મેં કિસી પ્રતિકૂલ બાત કે ડાંડો હુંપ ગો બોર્ડ કે ગઠન મેં કેવેલ કિસી રિવિંટ કે વિદ્યાગન હોંગે અથવા હુંપ કે આધાર માત્ર પર હી બોર્ડ કી કોર્ઝ કાર્યવાહી અવિદ્યમાન્ય નહીં હોંગી અથવા અન્યથા પ્રશ્નગત નહીં કી જાયાની।

### અધ્યાય-તીન

બોર્ડ કે કૃત્ય

બોર્ડ કે નિર્માલિયિત કૃત્ય હોંગે :-

(ક) વિગિન નગર પાલિકાઓં કી વિત્તીય ક્ષમતા કી સામીક્ષા કરણા ઔર રાજરવ કે ગિન્ન-ગિન્ન સંસાધનોં કી કાર્ય ક્ષમતા કે નિર્ધારણ કરણા જિસરો કિ ઇસાં અભિવૃદ્ધિ કી જા સકે ઔર એરી નયે સાધનોં કો ભી સૃષ્ટિ કિયા જા સકે।

(ખ) રાજ્ય મેં નગર પાલિકાઓં કી સામી સમૃત્તિયોં કો પ્રગણિત કરણા યા પ્રગણિત કરણા ઔર એક ડાટા બેસ તૈયાર કરણા।

(ગ) સામૃત્તિ ઔર જાલ કર તથા અન્ય રાજરવ સંસાધન પ્રણાલી રીં સામીક્ષા કરણા ઔર સામૃત્તિયોં કે ગૂલ્યાંકન તથા નગર પાલિકાઓં કી ઔર કર ગદો ઔર કર કી દરો હેતુ ઉપયુક્ત આધાર સુઝાના;

(ઘ) નગર પાલિકાઓં મેં સામૃત્તિયોં કે ગૂલ્યાંકન, ઉનકે રાત્યાપન કે લિએ નિરીક્ષણ કી પારદર્શી પ્રક્રિયા કો અભિકલ્પિત કરણા તથા સૂવ્રાત કરણા;

(ડ.) કેન્દ્રીય, રાજ્ય યા રાખાની નિકાયોં ઔર છટ ગ્રાસ સામૃત્તિયોં કે ગૂલ્યાંકન કરણા યા કરણા;

(ચ) આવર્તિક પુનરીક્ષણ કે લિએ તૌર તરીકે સંસ્તુત કરણા;

(છ) સામૃત્તિ કર વિવાદોં કો ન્યાય નિર્ણય કરણા;

(ફ.) ગૂલ્યાંકન પ્રક્રિયા મેં પારદર્શિતા સુનિશ્ચિત કરણા ઔર નિપાશ તુલના કે લિએ ગૂલ્યાંકનોં કા સુલભ પ્રકટીકરણ કરણા;

(ફા) રાજ્ય સરકાર કે સરકારી ગજાટ મેં વાર્ષિક કાર્ય યોજના પ્રકાશિત કરણા;

(જ) નગર પાલિકાઓં કે લિએ રામ્પત્તિયોં કે ગૂલ્યાંકન ઔર નગર પાલિકા રાજરવ કે અભિવૃદ્ધિ કે લિએ એરી સલાહ દેના જેસા કિ રાજ્ય સરકાર સાગ્ય-સાગ્ય પર ઇસસે અપેક્ષા કરે અથવા સંકલ્પ કે ગાધ્યા રો નગર પાલિકાઓં દ્વારા અનુરોધ કિયા જાય।

(દ) ભૂમિ ઔર ગવનોં કે મૂલ્યાંકન માટે વિશેપજીતા કે વિકાસ સહિત પ્રયોગકર્તા પ્રમાર્થ, સાંસાધન પૈદા કરનો ઔર ઉત્તરાંકન કે કૃત્યો મેં એરો અન્ય કૃત્યોનો નિપાદિત કરના જેસા કિ રાજ્ય સરકાર સમય-સમય પર ઇસાસે અપેક્ષા કરે અથવા સંકલ્પ કે માધ્યમોને નંગર પાલિકાઓની દ્વારા અનુરોધ કિયા જાય।

11—રાજ્ય કે ભીતર બોર્ડ એરો સમગ્ય ઔર સ્થાન પર બૈઠક કરેગા જેસા કિ અધ્યક્ષ બોર્ડ કી ઉચિત સામજી ઔર વિનિયમાવળી કે અનુઝળ ઇસ નિગેત્તા બાનાયી ગઈ, અપની રવાં કે પ્રક્રિયા કો વિનિયમિત કરેગા।

12—(૧) જવ બોર્ડ સે કોર્ઝ રૂચના, વિવરણ, વિવરણ, અમિલેખ, દરતાખજ યા રજિસ્ટર, નગર પાલિકા કા ગા કોર્ઝ અન્ય સામગ્રી ઉપલબ્ધ કરાને કે અપેક્ષા કી જાય, તો નંગર પાલિકા ઉસે ઇસ સમબન્ધ ઉત્તરદાખિલ મેં વિનિર્દિષ્ટ સમગ્ય કે ભીતર ઉપલબ્ધ કરાયેગા।

(૨) જવ બોર્ડ સે કોર્ઝ રૂચના અપેક્ષા કી જાય તો ઇસકે કૃત્યોને નિષ્પાદન કે લિએ કોર્ઝ નગર પાલિકા બોર્ડ કા પૂર્ણરૂપેણ સહયોગ ઔર સહાયતા કરેગી।

(૩) જહાં કોર્ઝ નગર પાલિકા ઉપધારા (૧) યા ઉપધારા (૨) કે અધીન કિસી નિદેશ કા અનુપાલન કરને મેં કિસી ભી કારણ સે અસફલ રહ્યી હૈ, વહાઁ બોર્ડ, રાજ્ય સરકાર દ્વારા ઉસ નગર પાલિકા કો ન્યાગત કિયે જાને વાલે વિત્તીય અન્તરણો કે એક ભાગ કો, જો પૂર્વધર્તી વિત્તીય વર્ષ કે વાર્ષિક મૂલ્ય કે તીસ પ્રતિશત સે અધિક ન હો, દો વર્ષોની રો અનધિક અવધિ કે લિએ રોકને કે લિએ ઉસ નગર પાલિકા કો કારણ બતાઓ નોટિસ જારી કર સકતા હૈ। યદિ નગર પાલિકા તથ ભી ઇસ સમબન્ધ મેં સંતોષજનક આશ્વાસન દેને યા ઉસે ઉપલબ્ધ કરાયે મેં અસફલ રહ્યી હૈ, તો બોર્ડ રાજ્ય સરકાર કો એરો રોક કો સંસ્તુતિ કર સકતા હૈ, જિસ પર રાજ્ય સરકાર ઉક્ત અવધિ કે લિએ એરો વિત્તીય અન્તરણો કો રોક લેગી :

પરન્તુ જહાં નગર પાલિકા બાદ મેં એરો નિદેશ કા અનુપાલન કેરાતી હૈ, વહાઁ રાજ્ય સરકાર એરો અનુપાલન રો સંતુષ્ટ હો જાને પર ઇસ પ્રકાર રોકે ગયે વિત્તીય અન્તરણો કો અધિગૃહત કર દેગી।

13—(૧) કિસી ભૂમિ અથવા ગવન કા પ્રત્યેક સ્વામી અથવા અધિગોરી બોર્ડ યા ઉસકે દ્વારા ઇસ નિપિત્ત પ્રાધિકૃત કિસી વ્યવિત કે સામસ, એરો રીતિ સે ઔર એરો સમય કે ભીતર તથા એરો વિવરણો કો વિનિર્દિષ્ટ કરતે હુએ, જેસા કિ વિહિત કિયા જાય, વિવરણ દાખિલ કરેગા।

વિવરણ દાખિલ  
કરને ઔર દેન્દવારી  
કો પ્રકાર કરને કા  
દાખિલ

(૨) બોર્ડ, સામાન્ય યા વિનિર્દિષ્ટ સંસૂચનાની દ્વારા કિસી નંગર પાલિકા કે નિવાસી સે નિનાલિખિત કો સુનિશ્ચિત કરને હેતુ એરો સૂચના ઔર વિવરણ જેસા કિ વિનિર્દિષ્ટ કિયા જાય, ઉપલબ્ધ કરાને કે લિએ અપેક્ષા કર સકતા હૈ:-

(ક) કયા એરા નિવાસી ઇસ અધિગ્યંમ યા કિસી નગર પાલિકા અધિનિયમ યા તદ્દીન બનાયે ગયે નિયમોની યા વિનિયમો કે અધીન અધિરોપિત કર યા કિરી પ્રમાર યા કિરી શુલ્ક કા ભુગતાન કરને કા દાયી હૈ;

(ખ) કિસી ધનરાશિ પર ઉત્તરાક મૂલ્યાંકન કિયા જાય;

(ગ) ઉત્તરાક દ્વારા અધિગૃહત ગવન યા ભૂમિ કો વાર્ષિક મૂલ્ય ઔર રવાની કો નામ ઔર પતા;

(ઘ) કોર્ઝ અન્ય સૂચના જો ઉત્તરાક કૃત્યોનો કાર્યાન્વિત કરનો યા કર, પ્રગાર યા શુલ્ક કા ઉંદગ્રહણ કરનો કે લિએ આવશ્યક હો।

ગપરાધ એવ  
શારીરીયો

14—એરા કોર્ઝ વ્યવિત, જો—

(એક) યથા અપેક્ષિત વિવરણ દાખિલ કરનો મેં વિફલ રહતા હૈ; યા

(દો) માંગી ગયી સૂચના ઔર વિવરણ ઉપલબ્ધ કરાને મેં વિફલ રહતા હૈ તો વહ એરો કિરી અપરાધ કા દોપી હોગા ઔર એરો જુગાને કે સાથ દર્ખિત કિયા જાયેગા જો દરસ હજાર રૂપયે તક હો સકતા હૈ ઔર જવ અપરાધ નિરન્તર જારી હો. એરો જુગાને કે સાથ દર્ખિત કિયા જાયેગા જો પ્રતિદિન પાઁચ સૌ રૂપયે તક હો સકતા હૈ।

अपराधों का प्रशमन

15-(1) बोर्ड ऐसे व्यक्ति से जिसने इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया हो या जिस पर अपराध किये जाने की युक्तियुक्तापूर्वक आशंका हो, प्रशमन शुल्क के रूप में बीस हजार रुपये से अनधिक की धनराशि स्वीकार कर सकता है और अपराध को प्रशमित कर सकता है;

(2) किसी अपराध के प्रशमन पर ऐसे अपराध के सम्बन्ध में ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी या निरन्तर जारी नहीं रखी जायेगी और यदि उसके विरुद्ध उस अपराध के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही पहले ही निषिद्ध कर दी गयी हो तो प्रशमन स्वरूप उसे दोषमुक्त कर दिया जायेगा।

अपराधों का संज्ञान

मूल्यांकन का अवधारण और उसकी अवधि

16-कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा इस निश्चित प्राथिकृत किसी अधिकारी की लिखित शिकायत के सिवाय किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

17-(1) राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचना द्वारा उस नगर पालिका को विनिर्दिष्ट करेगी जहाँ यथास्थिति नगर पालिका अधिनियमों अधार पर नगर पालिका गैतर्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों, जहाँ तक वे वार्षिक मूल्यांकन के अवधारण से सम्बन्धित हों, के अनुसार भूमि और भवनों का सामान्य मूल्यांकन बोर्ड द्वारा किया जायेगा।

परन्तु यह कि बोर्ड ऐसी शर्तों, जैसा कि विहित किया जाय, के अधीन अपने अधीक्षण, निदेश और नियंत्रणाधीन ऐसे परिश्रमिक का भुगतान किये जाने पर जैसा कि वह अवधारित करे, यथापूर्वाक्त रूप में नगर पालिका गैं भूमि और भवनों का सामान्य मूल्यांकन कर सकता है और ऐसे प्रत्येक मूल्यांकन को बोर्ड द्वारा किया गया समझा जायेगा।

(2) बोर्ड द्वारा किया गया मूल्यांकन ऐसे दिनांक से प्रभावी हो जायेगा जैसा कि राज्य सरकार, इस निश्चित अधिसूचना द्वारा नियत करे और वह ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में पाँच वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा तथा इसके पश्चात् उसे पाँच वर्षों की कगिक अवधि की समाप्ति पर मुनरीकित किया जायेगा।

परन्तु यह कि किसी नगर पालिका में भूमि या भवन का मूल्यांकन नगर पालिका अधिनियमों के उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा।

(3) उपधारा (1) और (2) में अन्तर्विष्ट किसी वात के होते हुए यदि उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी अवधि के दौरान किसी नये भवन का परिनिर्माण किया जाता है या नगर पालिका के किसी क्षेत्र में किसी विद्यमान भवन का पुनर्निर्माण किया जाता है या इसका गौलिक रूप से बदलाव या उसमें सुधार किया जाता है तो ऐसे परिररों के मूल्यांकन का अवधारण उसी गानदण्ड के अधीन किया जायेगा जैसा कि बोर्ड द्वारा ऐसे परिररों के निश्चित नियत किया गया है और इसके मूल्यांकन की प्रक्रिया वही होगी जैसा कि रखी या अधिगोपी द्वारा विशिष्टियों का पूर्ववर्ती अनिवार्य विवरण प्रस्तुत करने पर तात्कालिक मूल्यांकन का अवधारण बोर्ड द्वारा किया जाय।

(4) नगर पालिका ऐसे समय, जैसा कि विहित किया जाय, के भीतर बोर्ड को अपनी अधिकारिता के अन्तर्गत परिनिर्मित समस्त नये भवनों की सूची और निर्गत या गौलिक रूप से परिवर्तित या सुधार किये गये समस्त विद्यमान भवनों की भी सूची प्रेषित करेगा।

(5) सम्पत्तियों का नामान्तरण नगर पालिका द्वारा नगर पालिका अधिनियमों गत तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा किन्तु सम्बन्धित अंगेलेख सूहित नामान्तरण की सूचना, बोर्ड को नामान्तरण करने वाले अधिकारी द्वारा नामान्तरण के सात दिनों के अंतर्गत दी जाएगी।

प्रस्तावित मूल्यांकन सूची का प्रकाशन

18-(1) जब किसी नगर पालिका की भूमि और भवनों का मूल्यांकन बोर्ड द्वारा कर लिया जाय तो वह ऐसी मूल्यांकन सूची तैयार करायेगा और साप्तति कर एवं अन्य करों की धनराशि सूची में दर्ज करायेगा।

(2) बोर्ड उपधारा (1) के अधीन तैयार की गयी प्रस्तावित मूल्यांकन सूची को प्रकाशित करेगा और ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट करेगा जिसके भीतर प्रस्तावित मूल्यांकन सूची के प्रति आपत्ति हेतु आवेदन पत्र ताखिल किया जा सके।

(3) आपत्तियाँ ऐसी रीति से दाखिल की जा सकती है जैसा कि विहित किया जाय।

19—धारा 18 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट दिनांक की समाप्ति के पश्चात् और मूल्यांकन पर आपत्तियों की सुनवाई तत्पश्चात् ऐसी अवधि, जैसा कि विहित किया जाय, के भीतर प्रस्तावित मूल्यांकन सूची गें किसी प्रकार की आपत्ति का अवधारण, आवेदक को ऐसे व्यवितरणों, जैसा कि इस निगित प्राधिकृत किया जाय, द्वारा सुनवाई का अवधारण दिये जाने के पश्चात्, किया जायेगा।

20—जब धारा 19 के अधीन आपत्तियों धृषि कोई हों का निरसारण कर लिया जाय, अन्तिम गूल्यांकन तो वोर्ड एक अन्तिम गूल्यांकन सूची तैयार करेगा और ऐसी स्थान/स्थानों जहाँ पर ऐसी सूची सूची का प्रकाशन का निरीक्षण किया जाय, के सम्बन्ध में सार्वजनिक सूचना देगा और अन्तिम गूल्यांकन सूची गें उरा पर यथाअभिलिखित सम्पत्ति कर की धनराशि का गूल्यांकन अनिम होगा और किसी आपत्ति की पुनः सुनवाई नहीं होगी।

21—धारा 20 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बोर्ड, किसी रवानी या गूल्यांकन का अधिगोगी या नगर पालिका द्वारा प्रस्तुत किये गये किसी प्रार्थना पत्र के आधार पर या पुनरीक्षण रत्नारेणा रो और तदनिगिता कारण अभिलिखित किये जाने के पश्चात् पूर्व में किये गये किसी गूल्यांकन को पुनरीक्षित कर सकता है।

22—बोर्ड को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के दौरान ऐसे बोर्ड की शक्तियों किसी दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो निम्नलिखित गामलों के सम्बन्ध में वाद वा विचारण करती हो—

- (क) यिसी व्यक्ति को सामन भेजना और उसको उपरिथिति के लिए विवश करना और उसका शपथपूर्वक परीक्षण करना;
- (ख) किसी दस्तावेज की खोज करने और उसे प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;
- (ग) शपथ पत्र साक्ष्य ग्रहण करना;
- (घ) किसी सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना;
- (ङ.) परिसर का निरीक्षण करने तथा साक्ष्य और दस्तावेजों का परीक्षण करने के लिए कमीशन जारी करना;
- (च) ऐसे अन्य गामले, जैसे कि विहित किये जायं;

23—राज्य सरकार समय—समय पर ऐसे निदेश जारी कर सकती है जो इस निदेश जारी करने की शक्ति अधिनियम से अनुंगत न हो।

24—बोर्ड द्वारा इस निगित प्राधिकृत कोई व्यक्ति किसी परिसर में इस रेति से प्रवेश कर सकता है या उसमें दाखिल हो सकता है जैसा कि इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वयन करने के लिए विहित किया जाय।

25—इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई आदेश या कार्यवाही अपील किये जाने योग्य नहीं होगी और किसी दीवानी न्यायालय के पास ऐसे किसी गामले में अधिकारिता नहीं होंगी जिसके लिये बोर्ड को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विनिश्चय करने के लिए अधिकार प्राप्त हो।

#### अध्याय—चार

##### लेखा, लेखा परीक्षा और रिपोर्ट

26—(1) राज्य सरकार इस निगित विधि के माध्यम से राज्य विधान मण्डल द्वारा साम्यक विनियोग के पश्चात् बोर्ड को अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि का मुगातान करेगी जैसी कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किये जाने हेतु उचित समझे।

(2) बोर्ड ऐसी धनराशि को व्यय कर सकता है जैसा कि वह इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का निष्पादन करने के लिए उचित समझे, और ऐसी धनराशि को उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदेश व्यय के रूप में गाना जायेगा और वह बोर्ड के व्यय के निगित नगर पालिकाओं और अन्य से शुल्क भी प्रभारित कर सकता है।

**लेखा और लेखा  
परीक्षा**

27-(1) बोर्ड समुचित लेखा और सुरांगत अभिलेखों को अनुरक्षित रखेगा और एक वार्षिक लेखा विवरण यथाविहित रूप में तैयार करायेगा।

(2) धारा 26 के अधीन अनुदानों से गिन्न स्रोतों से पुनरीक्षण का विनियमन इस निमित्त बनाये गये विनियमों द्वारा किया जायेगा।

(3) बोर्ड के लेखों की लेखा परीक्षा गहलेखाकार, उत्तर प्रदेश अधवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा ऐसे अन्तरालों पर की जायेगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय और ऐसी लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में उपगति किसी व्यय का भुगतान बोर्ड द्वारा महालेखाकार को किया जायेगा।

(4) लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित बोर्ड के वार्षिक लेखा विवरण की प्रतियों को राज्य सरकार को अग्रसारित किया जायेगा।

(5) उपधारा (4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित बोर्ड की वार्षिक लेखा विवरण की प्रति को राज्य विधान गण्डल के प्रत्येक सदन के साक्षा रखा जायेगा।

**वार्षिक रिपोर्ट**

28-(1) बोर्ड वर्ष के दौरान अपने किया—कलापों की वार्षिक रिपोर्ट ऐसे ग्रपत्र में, जैसा कि विहित किया जाय, तैयार करेगा और उसकी प्रतियों को राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।

(2) राज्य सरकार वार्षिक रिपोर्ट राज्य विधान गण्डल के प्रत्येक सदन के साक्षा रखवायेगी।

**बोर्ड को देय  
धनराशि की वसूली**

29-(1) यदि धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन किसी नगर पालिका से बोर्ड को देय धनराशि का भुगतान विनिर्दिष्ट समय के अन्तर्गत नहीं किया जाता है तो बोर्ड उसला मांगले को राज्य सरकार को संदर्भित कर सकता है और राज्य सरकार बोर्ड को उसला धनराशि का भुगतान कर सकती है और राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका को संदेय किन्होंने वित्तीय अन्तरालों से उक्त धनराशि की कटौती करने के पश्चात भुगतान कर सकती है।

(2) उपधारा (1) पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना बोर्ड को संदेय किसी धनराशि की वसूली बोर्ड के सचिव के प्रगाण—पत्र के आधार पर भूराजस्व के रूप में की जा सकती है।

**आक्रिमिक व्यय  
सहित वेतन 3.2  
भत्तों के आधार पर  
उपगत व्यय**

30—बोर्ड द्वारा बैठक हेतु उपगत व्यय, अध्यक्ष, सदस्यों, सचिव, अधिकारियों और बोर्ड के अधीन या उसके लिये कार्यरत कर्मचारियों के आक्रिमिक व्यय सहित वेतन और भत्तों का भुगतान राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले अनुदान में से किया जायेगा।

**अध्याय—पॉच्च**

**प्रकारीण**

**बोर्ड द्वारा शक्तियों  
और कृत्यों का  
प्रत्यायोजन**

31—बोर्ड अपने रांकल्प द्वारा वित्तीय शक्ति सहित अपनी शक्तियों और कृत्यों का ग्रात्यायोजन धारा-7,8 और 37 के शक्तियों के सिवाय, अध्यक्ष, सदस्य, सचिव या बोर्ड के किसी अधिकारी को कर सकता है।

**अध्यक्ष, सदस्य,  
अधिकारी और  
कर्मचारी लोकसेवक  
होंगे**

32—बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्य, सचिव और अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी भारतीय दण्ड वांहिनी की धारा-21 के अर्थान्तर्गत लोकसेवक गाने जायेंगे।

**सदमावनपूर्वक की  
गयी कार्यवाही के  
प्रति सुरक्षा**

33—इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किन्हीं नियमों या विनियमों या आदेशों के उपर्यन्तों के अनुसरण में सदगातनापूर्वक की गयी या किये जाने के लिये आशारित किसी वात के लिये किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं नहीं जायेंगी।

**मूल्यांकनकार्ताओं  
और सर्वेक्षकों का  
पंजीकरण**

34—बोर्ड ऐसी अईता और प्रगारों सहित निबन्धन एवं शर्तों, जैसा कि विनियमों द्वारा अवधारित किया जाय, के अध्यीन किसी व्यक्ति को मूल्यांकनकर्ता या सर्वेक्षक के रूप में पंजीकृत कर सकता है।

35—बोर्ड के लिये जारी किये जाने या उसके तामील किये जाने के लिये अपेक्षित गा आशयित समर्त नोटिसों और प्रक्रियाओं को बोर्ड के सचिव को तामील कराया जायेगा। नोटिस इत्यादि का तामील किया जाना

36—(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के हिस्से नियम बना राखती है। नियम बनाने की शक्ति

(2) विशेष रूप से और पूर्वानुमोदन की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव द्वारा विना राज्य सरकार ऐसे किसी पाराले, जो इस अधिनियम के संघर्षों से असंगत न हो, और वा अपेक्षित या विहित हो, के साथसे में नियम बना राखती है।

(3) राज्य सरकार द्वारा बनाये गये समर्त नियमों को गठाट में प्रकाशित किया जायेगा।

37—(1) बोर्ड, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से इस अधिनियम और राज्यीन बनायी गयी नियमानुली के संघर्षों के अनुरूप इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के हिस्से विनियम बनाने की शक्ति

(2) राज्य सरकार ऐसा अनुगोदन देते समय उनमें ऐसा परिवर्द्धन, परिवर्तन और उपान्तरण कर सकती है जैसा कि वह उचित राख़े:

परन्तु यह कि ऐसा परिवर्द्धन, परिवर्तन या उपान्तरण करने के पूर्व राज्य सरकार बोर्ड को दो गाह से अनधिक की ऐसी अवधि, जैसी राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय, के भीतर उस पर विचार करने के लिए अवश्यक प्रदान करेगी।

(3) बोर्ड द्वारा बनाये गये और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये गये समर्त विनियमों का प्रकाशन गठाट में किया जायेगा।

38—(1) यदि इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के कारण या तत्समय प्रवृत्त विशेषी अन्य अधिनियम के कारण इस अधिनियम के संघर्षों को प्रगाढ़ी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार जैसी परिस्थिति हो, आदेश द्वारा यह नियेश दे सकती है कि यह अधिनियम ऐसी अवधि के दीरान जो इस आदेश के दिनांक के बाद बारह गास से अधिक न हो, ऐसे अनुकूलगों चाहे रूपान्तर या परिवर्द्धन या लोप के रूप में हो, के अधीन रहते हुये जो उसे आवश्यक या सगीचीन प्रतीत हो, प्रभावी रहेगा:

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात उपधारा (1) के अधीन ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किये गये प्रत्येक आदेश को उसके किये जाने के पश्चात् यथाशय शीघ्र राज्य विधान गण्डल के दोनों सदनों के राग्क रखा जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किये गये किसी आदेश को किसी न्यायालय में इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जायेगा कि ऐसी कोई कठिनाई जैसा कि उस उपधारा में निर्दिष्ट हो, विद्यमान नहीं थी आश्वा उसका निराकरण किया जाना अपेक्षित नहीं था।

### उद्देश्य और कारण

गरारा के 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर यह विनियम किया गया है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका रांसाधन विकास बोर्ड, जिसमें अध्यक्ष, चार अन्य सदस्य और एक पदेन सदस्य होंगे, की रक्षापना और उसके नियमन की व्यवस्था करने के लिए विधि बनायी जाय। बोर्ड के गुरुत्व कृत्य नियन्त्रित होंगे :—

(क) विभिन्न नगर पालिकाओं की वित्तीय क्षमता की समीक्षा करना और राजरव के विभिन्न स्रोतों की दक्षता का गूल्यांकन करना जिससे कि इसमें वृद्धि की जा राके और ऐसे नए स्रोतों का भी सृजन किया जा सके ;

(ख) राज्य में नगर पालिकाओं की रांभी सम्पत्तियों की गणना करना या गणना करना और एक डाटामेस विकसित करना ;

(ग) सम्पत्ति और जलकर तथा अन्य राजस्व संसाधन प्रणाली की समीक्षा करना और नगर पालिकाओं की सम्पत्तियों का गूल्यांकन तथा कर की दरों और करेतर गद्दों के लिए उपयुक्त आधार सुझाना;

(घ) सम्पत्तियों के गूल्यांकन के लिए पारदर्शी प्रक्रिया को अधिकारित करना और रूप्रैपात्र करना;

(ङ) सम्पत्ति कर विवादों का न्याय—निर्णयन करना;

(च) गूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और निष्पक्ष तुलना करने के लिए गूल्यांकनों के प्रकटीकरण को सुगम बनाना।

तदनुसार उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड विधेयक, 2011 पुरस्तापित किया जाता है।

आज्ञा से,  
केंद्रीय शर्मा,  
प्रमुख रायिव।

No. 346(2)/LXXIX-V-I-11-1(ka)14-2011

Dated Lucknow, March 18, 2011

#### NOTIFICATION

#### MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the (Uttar Pradesh Nagar Palika Vittiya Sansodhan Vikas Board Adhiniyam, 2011 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 11 of 2011) as passed by Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 16, 2011:-

#### THE UTTAR PRADESH BOARD FOR DEVELOPMENT OF MUNICIPAL FINANCIAL RESOURCES ACT, 2011

(U.P Act no. 11 of 2011)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

*to provide for the establishment of the Uttar Pradesh Board for Development of Municipal Financial Resources and the matters connected therewith or incidental thereto.*

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows :-

#### CHAPTER-I

#### Preliminary

Short title, extent and commencement 1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Board for Development of Municipal Financial Resources Act, 2011.

(2) It extends to the whole of the State of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

#### Definitions

2. (1) In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,-

(a) "Board" means the Uttar Pradesh Board for Development of Municipal Financial Resources;

(b) "Chairperson" means the Chairperson of the Board and the Head of the Department thereof;

(c) "Member" means a member of the Board other than *ex-officio* member;

(d) "Municipality" means a Municipal Corporation or Municipal Council or a Nagar Panchayat, constituted under clause (1) of Article 243-Q. of the Constitution of India;